भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-11/2014-15

मनसुख कुजुर एवं अन्य बनाम गुरुवारी कुई एवं अन्य

आदेश

27-07-18

यह अपील वाद 1. श्री मनसुख कुजुर 2. श्री राकेश कुजुर दोनों के पिता स्व0 ईतवा उराँव, ग्राम+पोस्ट+थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने अंचल अधिकारी, राजनगर द्वारा नामांतरण वाद सं0-265/96-97 दिनांक 31.12.96 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किये है। मामला दायर करने में विलम्ब होने के फलस्वरुप लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत एक अलग से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है।

अपील सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया तथा निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख की मांग की गई तथा उत्तरवादी को सूचना दी गई। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उत्तरवादी का एक पक्षीय सुनवाई की गई तथा अभिलेख में प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार प्रश्नगत जमीन 1961 सर्वे खतियान रैयत चन्द्रमोहन उराँव पिता जगतु उराँव के नाम पर रेकार्ड युक्त है जिसका वे वंशावली क्रम में एक ही पूर्वज जगतु उराँव के वंशज है। चन्द्रमोहन उराँव का देहान्त हो चुका है। उनके देहान्त के पश्चात एक मात्र अविवाहित पुत्री वादी उराँव से उत्तरवादीगण निबंधित बिक्री केवाला के माध्यम से जमीन खरीद कर नामांतरण कराया है। अपीलार्थी के अनुसार वे उराँव जाति के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य है। उनके रुढ़ी परम्परा के अनुसार पुत्री को जमीन बिक्री करने का अधिकार पात्र नहीं है। उनके जीवन यापन देखभाल पाने का अधिकार है और उनके वंशज बिरसा उराँव उनका देखभाल करता था और इसीलिए तत्पश्चात प्रश्नगत भूमि के खाता नं0-18 सम्पूर्ण भूमि उत्तराधिकारी नामांतरण वाद सं0-18/2000-01 के आदेशानुसार नामांतरित हुआ है। जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि प्लॉट नं0-1047 रकवा 0.31 एकड़ तथा प्लॉट नं0-1048 रकवा-0.08 एकड़ अपीलार्थी के पिता ईतवा उराँव के हिस्से में पड़ता है। अपीलार्थी के अनुसार उत्तरवादी गुरुवारी कुई पति सदाशिव बांकिरा फर्जीवाड़ा कर गुरुवारी पान से गुरुवारी कई पति सदाशिव बांकिरा बना है और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की 46(A) का दुरुपयोग कर अनुमति प्राप्त कराया है। इसलिए अंचल अधिकारी राजनगर द्वारा नामांतरण वाद सं0-265/96-97 दिनांक 31.12.1996 को पारित आदेश नियमानुकूल नहीं है। इसे निरस्त किया जाय।

उत्तरवादी को विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह अपील वाद नामांतरण स्वीकृति के 18 साल बाद दायर किया गया, जो काल बाधा को आकर्षित करता है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश J.CR 2013 Feb. P. 395 तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश J.CR Dec

Scanned with CamScanner

2008 P-64 S.C का रुलिंग प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट निदेशित है कि अपील समय सीमा के उपरांत दायर होने पर लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानुसार निरस्त योग्य है।

उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा J.CR 2002 March. P. 227, J.CR 2002 Feb. P. 134 तथा J.CR 20104 Nov. P.595 में अपने आदेश में स्पष्ट निर्देशित किया है कि नामांतरण स्वीकार करने में राजस्व न्यायालय स्वत्व अधिकार पर निर्णय कर सकता है।

उन्होंने कहा कि उत्तरवादी ने खतियानी रैयत की एक मात्र पुत्री अविवाहित से उनके जीवन यापन को आवश्यकता पूरा करने के जमीन का मूल्य भुगतान कर निबंधित बिक्री केवाला के माध्यम से खरीद कर सरजमीन पर दखलकार है। बिक्रेता वादी उराँव के पूर्व अपर उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम (तत्कालीन जिला) से टी0ए0 मिस केस नं0-478 दिनांक 12.09.86 में पारित आदेश से अनुमति प्राप्त कर बिक्री किया है। इसलिए अंचल अधिकारी, राजनगर नामांतरण वाद सं0-265/96-97 में दिनांक 31.12.96 को पारित आदेश नियमानुसार एवं नियम और प्रावधान तथा प्रक्रिया का पालन करते हुए सही आदेश पारित किये है।

उपर्युक्त तर्को तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण के नाम पर नामांतरण वाद सं0-265/96-97 में दिनांक 31.12.96 अंचल अधिकारी, राजनगर ने नियम और प्रक्रिया के तहत आदेश पारित किये है। इस आदेश के बदलाव न्योयोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

लेखापित

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner